QUES 1

आकस्मिक संविदा (Contingent Contract)

परिभाषा

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की **धारा 31** के अनुसार—
आकस्मिक संविदा वह संविदा है, जिसमें किसी **भविष्य की अनिश्चित सहायक घटना** के होने या न होने पर कुछ करने या न करने का वचन दिया जाता है।

आकस्मिक संविदा की वैधता के नियम (धारा 32–36)

1. घटना के होने पर आधारित संविदा (धारा 32)

यदि संविदा किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के होने पर निर्भर है, तो वह घटना होने पर ही प्रवर्तनीय होगी।

उदाहरण:
A वचन देता है कि यदि B परीक्षा पास कर ले, तो वह उसे ₹10,000 देगा।

---

2. घटना के न होने पर आधारित संविदा (धारा 33)

यदि संविदा किसी घटना के न होने पर आधारित है, तो वह तभी प्रवर्तनीय होगी जब यह निश्चित हो जाए कि घटना नहीं होगी।

उदाहरण:
A कहता है कि यदि जहाज़ नहीं डूबता, तो वह B को ₹5,000 देगा।

---

3. निश्चित समय में घटना का होना (धारा 34)

यदि निश्चित समय में घटना होनी है और वह समय समाप्त होने तक नहीं होती, तो संविदा शून्य हो जाती है।

---

4. किसी व्यक्ति के आचरण पर आधारित संविदा (धारा 35)

यदि संविदा किसी व्यक्ति के किसी कार्य के करने या न करने पर निर्भर हो और वह व्यक्ति वह कार्य असंभव कर दे, तो संविदा शून्य हो जाती है।

---

5. असंभव घटना पर आधारित संविदा (धारा 36)

यदि संविदा किसी ऐसी घटना पर आधारित है, जो असंभव है, तो वह प्रारंभ से ही शून्य होती है।

उदाहरण:
A वचन देता है कि यदि सूर्य पश्चिम से उगे, तो वह B को धन देगा।

आकस्मिक संविदा के उदाहरण

- बीमा संविदा
- जमानत अनुबंध
- पुरस्कार की घोषणा
- समुद्री बीमा

निष्कर्ष

आकस्मिक संविदा भविष्य की अनिश्चित घटनाओं पर आधारित होती है और उसकी प्रवर्तनीयता उन घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करती है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 से 36 तक आकस्मिक संविदा के नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

QUES 2

Privity of Contract (संविदा की प्राइवीटी का सिद्धांत)

परिभाषा

Privity of Contract का अर्थ है कि **केवल वही व्यक्ति संविदा को लागू कर सकता है, जो उस संविदा का पक्षकार (party) हो।**
कोई तीसरा व्यक्ति, जो संविदा का पक्ष नहीं है, वह उस संविदा के अंतर्गत अधिकार या दावा नहीं कर सकता।

👉 सरल शब्दों में:
संविदा से अधिकार और दायित्व केवल संविदा करने वाले पक्षों तक ही सीमित रहते हैं।

भारतीय विधि में स्थिति

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में इस सिद्धांत की स्पष्ट परिभाषा नहीं है,
लेकिन **न्यायालयों ने इसे मान्यता दी है**।

मुख्य वाद (Case Law)

Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. Selfridge & Co. (1915)

इस मामले में यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि

"केवल संविदा के पक्षकार ही उस पर वाद दायर कर सकते हैं।"

उदाहरण

A, B से यह संविदा करता है कि वह C को ₹10,000 देगा।
👉 यहाँ C, संविदा का पक्षकार नहीं है, इसलिए सामान्यतः C A पर मुकदमा नहीं कर सकता।

Privity of Contract के अपवाद (Exceptions)

भारत में इस सिद्धांत के **महत्वपूर्ण अपवाद** हैं:

1. लाभार्थी के लिए न्यास (Trust)

यदि संविदा किसी तीसरे व्यक्ति के लाभ के लिए न्यास के रूप में हो,
तो तीसरा व्यक्ति दावा कर सकता है।

---

2. पारिवारिक समझौते (Family Settlement)

परिवारिक समझौते में यदि किसी तीसरे सदस्य को लाभ दिया गया हो,
तो वह उसे लागू कर सकता है।

Case: *Khwaja Muhammad Khan v. Husaini Begum (1910)*

---

3. एजेंसी (Agency)

एजेंट द्वारा की गई संविदा में वास्तविक प्रधान (Principal)
संविदा को लागू कर सकता है।

---

4. असाइनमेंट (Assignment)

यदि संविदा के अधिकार किसी अन्य को वैध रूप से सौंप दिए जाएँ,
तो असाइनी दावा कर सकता है।

---

5. प्रतिज्ञा (Acknowledgement)

यदि संविदा का पक्षकार तीसरे व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार कर ले,
तो तीसरा व्यक्ति दावा कर सकता है।

निष्कर्ष

Privity of Contract का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि
संविदा से केवल वही व्यक्ति बंधे हों, जिन्होंने उसे किया है।

हालाँकि, न्याय और व्यावहारिकता के लिए भारतीय न्यायालयों ने इसके कई अपवाद विकसित किए हैं।

QUES 3

कौन व्यक्ति संविदा कर सकता है (Who Can Enter into a Contract)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अनुसार—
हर वह व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है, जो—

1. **वयस्क (बालिग) हो**
2. **सुदृढ़ मस्तिष्क (SOUND MIND) का हो**
3. **किसी विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो**

---

1. वयस्क (Major)

जो व्यक्ति **18 वर्ष की आयु** पूरी कर चुका हो, वह संविदा कर सकता है।
यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया हो, तो वयस्कता की आयु **21 वर्ष** होगी।

❌ **अवयस्क (Minor)** संविदा करने में अक्षम होता है।
वाद: *Mohori Bibee* ***बनाम धर्मोदास घोष*** *(1903)* — अवयस्क की संविदा **प्रारंभ से ही शून्य** होती है।

---

2. सुदृढ़ मस्तिष्क वाला व्यक्ति (Sound Mind)

धारा 12 के अनुसार, कोई व्यक्ति सुदृढ़ मस्तिष्क का माना जाएगा यदि वह संविदा करते समय—

- संविदा को समझने में सक्षम हो, और
- उसके प्रभावों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय ले सके।

❌ पागल व्यक्ति, नशे की अवस्था में व्यक्ति (उस समय) संविदा नहीं कर सकता।

---

3. विधि द्वारा अयोग्य व्यक्ति

कुछ व्यक्तियों को कानून द्वारा संविदा करने से वंचित किया गया है, जैसे—

- शत्रु विदेशी (Alien Enemy)
- दिवालिया (Insolvent)
- दंडित अपराधी (Convict)
- निगम/कंपनी (अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर – Ultra Vires)

संविदा करने में सक्षम व्यक्ति

✓ वयस्क
✓ सुदृढ़ मस्तिष्क वाला
✓ विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया व्यक्ति

संविदा करने में अक्षम व्यक्ति

❌ अवयस्क
❌ असुदृढ़ मस्तिष्क वाला व्यक्ति
❌ विधि द्वारा अयोग्य व्यक्ति

निष्कर्ष

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति वैध संविदा कर सकता है जो **धारा 11 की सभी शर्तों** को पूरा करता हो।

QUES 4

Free Consent (स्वतंत्र सहमति) क्या है

परिभाषा

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 13 के अनुसार—

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति **एक ही बात पर, एक ही अर्थ में सहमत होते हैं**, तो उसे **सहमति (Consent)** कहते हैं।

इसे *Consensus ad idem* भी कहा जाता है।

धारा 14 के अनुसार—

सहमति तब **स्वतंत्र (Free)** मानी जाती है, जब वह निम्न कारणों से उत्पन्न न हुई हो—

1. बल प्रयोग (Coercion)
2. अनुचित प्रभाव (Undue Influence)
3. धोखा (Fraud)
4. मिथ्याभिव्यक्ति (Misrepresentation)
5. भूल (Mistake)

स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करने वाले तत्व

1. बल प्रयोग (धारा 15)

किसी व्यक्ति को डराकर या अवैध कृत्य की धमकी देकर सहमति लेना।

उदाहरण:

A, B को शारीरिक हानि की धमकी देकर संविदा करवाता है।

---

2. अनुचित प्रभाव (धारा 16)

जब एक पक्ष दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व रखता है और उसका अनुचित लाभ उठाता है।

उदाहरण:

डॉक्टर द्वारा मरीज से अनुचित लाभ लेना।

---

3. धोखा (धारा 17)

जानबूझकर झूठा कथन करना ताकि दूसरा पक्ष भ्रमित हो जाए।

---

4. मिथ्याभिव्यक्ति (धारा 18)

बिना धोखे की मंशा के किया गया गलत कथन।

---

5. भूल (धारा 20–22)

संविदा से संबंधित किसी आवश्यक तथ्य के बारे में गलत धारणा।

स्वतंत्र सहमति के अभाव का प्रभाव

- संविदा **पीड़ित पक्ष की इच्छा पर रद्द योग्य (Voidable)** हो जाती है
- यदि दोनों पक्ष आवश्यक तथ्य के बारे में भूल में हों → संविदा **शून्य (Void)** होती है

निष्कर्ष

स्वतंत्र सहमति वैध संविदा की एक अनिवार्य शर्त है।
इसके अभाव में संविदा का वैधानिक प्रभाव समाप्त हो जाता है।

QUES 5

संविदा (Contract) क्या है

परिभाषा

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अनुसार—
"वह समझौता जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, **संविदा (Contract)** कहलाता है।"

अर्थात्, हर समझौता संविदा नहीं होता, बल्कि **केवल वही समझौता संविदा होता है जिसे कानून लागू कर सके।**

संविदा के आवश्यक तत्व (**Essential Elements of a Contract)**

1. प्रस्ताव और स्वीकृति (**Offer and Acceptance)**

एक पक्ष द्वारा किया गया प्रस्ताव तथा दूसरे पक्ष द्वारा उसकी वैध स्वीकृति होनी चाहिए।

---

2. वैध प्रतिफल (**Lawful Consideration)**

संविदा किसी वैध प्रतिफल पर आधारित होनी चाहिए।
प्रतिफल के बिना संविदा सामान्यतः शून्य होती है।

---

3. विधिक संबंध बनाने की मंशा

पक्षकारों की यह मंशा होनी चाहिए कि उनके बीच कानूनी संबंध स्थापित हो।

---

4. संविदा करने की क्षमता (**Capacity of Parties)**

संविदा करने वाले पक्ष—

- वयस्क हों
- सुदृढ़ मस्तिष्क वाले हों
- विधि द्वारा अयोग्य न हों
  (धारा 11)

---

5. स्वतंत्र सहमति (**Free Consent)**

पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए।
सहमति पर बल प्रयोग, धोखा, अनुचित प्रभाव, मिथ्याभिव्यक्ति या भूल का प्रभाव न हो।
(धारा 13–14)

---

6. वैध उद्देश्य (Lawful Object)

संविदा का उद्देश्य कानून के विरुद्ध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

---

7. निश्चितता (Certainty)

संविदा की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए।

---

8. संविदा का प्रवर्तनीय होना

संविदा ऐसी होनी चाहिए जिसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सके।

---

9. स्पष्ट या निहित संविदा

संविदा लिखित, मौखिक या परिस्थितियों से निहित हो सकती है।

---

10. असंभव कार्य नहीं

संविदा किसी असंभव कार्य के लिए नहीं होनी चाहिए।

संविदा के प्रकार (संक्षेप में)

- वैध संविदा
- शून्य संविदा

- रद्द योग्य संविदा
- आकस्मिक संविदा
- अर्ध-संविदा

निष्कर्ष

संविदा वह विधिक समझौता है, जिसमें प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, स्वतंत्र सहमति तथा वैध उद्देश्य जैसे आवश्यक तत्व मौजूद हों।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 इन तत्वों के माध्यम से संविदा की वैधता सुनिश्चित करता है।

QUES 6 5 MARKS

Undue Influence (अनुचित प्रभाव)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16 के अनुसार—
जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर **प्रभुत्व** (Dominance) रखता है और उस स्थिति का **अनुचित लाभ** उठाकर उससे सहमति प्राप्त करता है, तो उसे **अनुचित प्रभाव** कहा जाता है।

उदाहरण

डॉक्टर द्वारा अपने मरीज से लाभकारी संविदा करवाना अनुचित प्रभाव का उदाहरण है।

प्रभाव

अनुचित प्रभाव से की गई संविदा **पीड़ित पक्ष की इच्छा पर रद्द योग्य** (Voidable) होती है।

निष्कर्ष

अनुचित प्रभाव स्वतंत्र सहमति को नष्ट करता है, इसलिए ऐसी संविदा विधि द्वारा पूर्णतः सुरक्षित नहीं मानी जाती।

QUES 7

Consent (सहमति) क्या है

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 13 के अनुसार—

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति **एक ही बात पर, एक ही अर्थ में सहमत होते हैं**, तो उसे **सहमति** (Consent) कहा जाता है।

इसे *Consensus ad idem* भी कहते हैं।

महत्त्व

सहमति वैध संविदा की एक आवश्यक शर्त है।

सहमति के बिना कोई भी संविदा वैध नहीं होती।

उदाहरण

A, अपनी कार B को ₹1,00,000 में बेचने का प्रस्ताव करता है और B उसे उसी शर्त पर स्वीकार कर लेता है।

यहाँ दोनों की सहमति एक ही बात पर है।

निष्कर्ष

सहमति का अर्थ है पक्षकारों का मन का मिलना।

यदि सहमति नहीं है, तो संविदा अस्तित्व में नहीं आती।

QUES 8

विदेशी कानून के बारे में भूल (Mistake of Foreign Law)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत

विदेशी कानून के बारे में भूल को तथ्य की भूल (Mistake of Fact) माना जाता है।

📘 **धारा 21** के अनुसार—

भारत में लागू कानून के बारे में भूल संविदा को शून्य नहीं बनाती,

परंतु **विदेशी कानून** के बारे में भूल इसका अपवाद है।

प्रभाव

यदि दोनों पक्ष किसी विदेशी कानून के बारे में भूल में हों और वह भूल संविदा के लिए **आवश्यक** (Essential) हो,
तो ऐसी संविदा **धारा 20** के अंतर्गत **शून्य** (Void) हो जाती है।

उदाहरण

A और B यह मानकर संविदा करते हैं कि इंग्लैंड के कानून के अनुसार एक कार्य वैध है, जबकि वास्तव में वह वहाँ अवैध है।
👉 यह विदेशी कानून के बारे में भूल है, जिसे तथ्य की भूल माना जाएगा।

निष्कर्ष

विदेशी कानून के संबंध में भूल को तथ्य की भूल मानकर संविदा को शून्य किया जा सकता है,
यदि वह संविदा की मूल शर्त को प्रभावित करती हो।

QUES 9 5 MARKS

Bilateral Mistake (द्विपक्षीय भूल)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 20 के अनुसार—
जब **संविदा के दोनों पक्ष** किसी ऐसे **आवश्यक तथ्य** के बारे में भूल में हों, जो समझौते के मूल में हो, तो उसे **द्विपक्षीय भूल** कहा जाता है।

प्रभाव

द्विपक्षीय भूल की स्थिति में संविदा **शून्य** (Void) होती है।

उदाहरण

A और B एक घोड़ा खरीदने-बेचने की संविदा करते हैं, यह मानकर कि घोड़ा जीवित है, जबकि वास्तव में वह पहले ही मर चुका था।
👉 यहाँ दोनों पक्ष तथ्य की भूल में हैं, इसलिए संविदा शून्य है।

निष्कर्ष

यदि दोनों पक्ष एक ही आवश्यक तथ्य के बारे में भूल में हों,
तो ऐसी संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होती।

QUES 10 5 MARKS

Unilateral Mistake (एकपक्षीय भूल)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 22 के अनुसार—
जब संविदा का **केवल एक पक्ष** किसी तथ्य के बारे में भूल में होता है,
तो उसे **एकपक्षीय भूल** कहा जाता है।

प्रभाव

सामान्यतः एकपक्षीय भूल से संविदा **शून्य नहीं होती**।

अपवाद

यदि भूल—

- पक्षकार की पहचान से संबंधित हो, या
- संविदा के विषय-वस्तु (Subject Matter) की प्रकृति से संबंधित हो,

तो ऐसी संविदा **शून्य** हो सकती है।

उदाहरण

A किसी व्यक्ति को B समझकर उससे संविदा कर लेता है, जबकि वह कोई और है।
👉 यह पहचान से संबंधित एकपक्षीय भूल है।

निष्कर्ष

एकपक्षीय भूल में सामान्यतः संविदा वैध रहती है,
परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में वह शून्य हो सकती है।

QUES 11 5 MARKS

Void Ab Initio (प्रारंभ से ही शून्य)

Void Ab Initio का अर्थ है कि कोई संविदा या समझौता **शुरुआत से ही अमान्य और शून्य** होता है, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न आया हो।

कानूनी स्थिति

ऐसी संविदा पर **कोई विधिक अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होता**।

उदाहरण

- अवयस्क द्वारा की गई संविदा
  (**Mohori Bibee बनाम धर्मोदास घोष, 1903**)
- असंभव कार्य की संविदा
- द्विपक्षीय भूल से बनी संविदा

प्रभाव

- संविदा प्रारंभ से ही अमान्य
- किसी भी पक्ष द्वारा प्रवर्तनीय नहीं

निष्कर्ष

Void ab initio संविदा कानून की दृष्टि में कभी वैध नहीं मानी जाती और उस पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता।

QUEST 12 5 MARKS

Wager Contract (सट्टा संविदा)

सट्टा संविदा वह संविदा होती है, जिसमें दो पक्ष किसी **अनिश्चित भविष्य की घटना** के परिणाम पर धन या मूल्यवान वस्तु के **जीतने या हारने** का वचन देते हैं।

📘 **भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 30** के अनुसार—
सट्टा संविदा शून्य (Void) होती है।

मुख्य तत्व

- भविष्य की अनिश्चित घटना
- जीत या हार पर आधारित
- किसी पक्ष का घटना पर कोई नियंत्रण नहीं
- केवल दांव (बाजी) लगाना

उदाहरण

A और B यह शर्त लगाते हैं कि कौन-सी टीम मैच जीतेगी।

हारने वाला ₹5,000 देगा।

👉 यह सट्टा संविदा है।

निष्कर्ष

सट्टा संविदा कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होती और इसे शून्य माना जाता है।

QUES 13 10 MARKS

Reciprocal Contract (परस्पर वचन वाली संविदा)

परिभाषा

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(f) के अनुसार—

जब किसी संविदा में **दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रति वचन देते हैं**, तो उसे **परस्पर वचन वाली संविदा** (Reciprocal Contract) कहा जाता है।

परस्पर वचन (Reciprocal Promises) का अर्थ

जब एक पक्ष का वचन दूसरे पक्ष के वचन के **प्रतिफल** (Consideration) के रूप में हो, तब ऐसे वचनों को परस्पर वचन कहा जाता है।

परस्पर वचन के प्रकार (धारा 51–54)

1. समकालिक परस्पर वचन (Section 51)

जब दोनों पक्षों के वचन एक ही समय पर पूरे किए जाने हों।

उदाहरण:

A कार देगा और B उसी समय मूल्य देगा।

---

2. क्रमिक परस्पर वचन (Section 52)

जब वचन एक निश्चित क्रम में पूरे किए जाने हों।

उदाहरण:

A पहले माल देगा, फिर B भुगतान करेगा।

---

3. प्रतिवर्ती परस्पर वचन (Section 54)

जब एक पक्ष द्वारा वचन पूरा न करने पर दूसरा पक्ष अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है।

परस्पर वचन का निष्पादन न होना (धारा 53)

यदि एक पक्ष अपने वचन को पूरा करने से मना कर देता है,
तो दूसरा पक्ष संविदा को रद्द कर सकता है और क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।

उदाहरण

A, B से वचन देता है कि वह 100 बोरे गेहूँ देगा और B वचन देता है कि वह ₹50,000 देगा।
👉 यह परस्पर वचन वाली संविदा है।

निष्कर्ष

परस्पर वचन वाली संविदा में दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 51 से 54 तक इसके नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

QUES 14 10 MARKS

****Joint Rights and Joint Obligations (संयुक्त अधिकार एवं संयुक्त दायित्व)****

परिचय

जब किसी संविदा में **एक से अधिक व्यक्ति एक ही पक्ष में हों**, तो उनके अधिकार और दायित्व **संयुक्त (Joint)** रूप से उत्पन्न होते हैं।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में संयुक्त अधिकार एवं दायित्व का प्रावधान किया गया है।

संयुक्त अधिकार (Joint Rights)

धारा 45 के अनुसार—
जब कोई वचन एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाता है,
तो वे सभी **संयुक्त रूप से** उस वचन को लागू कर सकते हैं।

उदाहरण

A, B और C को ₹30,000 देने का वचन देता है।
👉 B अकेले दावा नहीं कर सकता; तीनों को मिलकर दावा करना होगा।

संयुक्त दायित्व (Joint Obligations)

धारा 42 और 43 के अनुसार—
जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वचन देते हैं,
तो उनका दायित्व **संयुक्त तथा पृथक (Joint and Several)** होता है।

प्रभाव

- वचन पाने वाला किसी **एक या सभी वचनदाताओं** से पूरा दावा कर सकता है

- भुगतान करने वाला सह-वचनदाताओं से **योगदान** (Contribution) मांग सकता है

संयुक्त दायित्व में मृत्यु का प्रभाव (**धारा 42**)

- वचनदाता की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी जिम्मेदार होते हैं
- वचन पाने वाले की मृत्यु पर अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को जाता है

उदाहरण

A, B और C मिलकर D को ₹60,000 देने का वचन देते हैं।

👉 D, A या B या C में से किसी एक से पूरी राशि वसूल कर सकता है।

निष्कर्ष

संयुक्त अधिकार और संयुक्त दायित्व संविदा में कई पक्षों की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 42, 43 और 45 इसके प्रमुख प्रावधान हैं।

QUES 15 10 MARKS

Quasi Contract (**अर्ध-संविदा**)

परिभाषा

अर्ध-संविदा वह दायित्व है, जो **वास्तविक संविदा के बिना** भी **कानून द्वारा** इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति दूसरे के खर्च पर **अनुचित लाभ** (Unjust Enrichment) न उठा सके।

👉 इसमें पक्षकारों के बीच **सहमति नहीं होती**, फिर भी कानून संविदा जैसा दायित्व उत्पन्न करता है।

अर्ध-संविदा की प्रकृति

- यह **कानून द्वारा निर्मित** होती है
- इसमें **प्रस्ताव व स्वीकृति नहीं** होती
- उद्देश्य: **न्याय और समानता** स्थापित करना

****अर्ध-संविदा के प्रकार**

(धारा 68–72, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872)**

1. अयोग्य व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (धारा 68)

यदि कोई व्यक्ति अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को
आवश्यक वस्तुएँ देता है, तो वह उसके संपत्ति से प्रतिपूर्ति पा सकता है।

---

2. किसी के द्वारा भुगतान किया गया धन (धारा 69)

यदि कोई व्यक्ति ऐसा धन चुकाता है, जिसे चुकाने का वह स्वयं बाध्य नहीं था,
तो वह उस धन की वसूली कर सकता है।

---

3. गैर-निःशुल्क कार्य का लाभ (धारा 70)

यदि कोई व्यक्ति बिना निःशुल्क मंशा के कार्य करता है
और दूसरा उसका लाभ उठाता है, तो लाभ पाने वाला प्रतिपूर्ति करेगा।

---

4. प्राप्त वस्तु की जिम्मेदारी (धारा 71)

जिसे खोई हुई वस्तु मिलती है, वह उसका **संरक्षक (Bailee)** माना जाता है।

---

5. भूल या दबाव से भुगतान (धारा 72)

यदि धन या वस्तु भूल या दबाव से दी गई हो,
तो उसे वापस लिया जा सकता है।

उदाहरण

A, गलती से B को ₹5,000 भेज देता है।
👉 B को वह राशि लौटानी होगी (धारा 72)।

निष्कर्ष

अर्ध-संविदा वास्तविक संविदा नहीं है,
परंतु कानून न्याय स्थापित करने के लिए
संविदा जैसा दायित्व उत्पन्न करता है।

QUES 16 10 MARKS

संविदा से मुक्ति (Discharge of Contract)

परिचय

जब संविदा के अंतर्गत पक्षकारों के **अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं**, तो कहा जाता है कि संविदा **मुक्त (Discharged)** हो गई है।
अर्थात्, अब किसी पक्ष पर संविदा को पूरा करने का दायित्व नहीं रहता।

संविदा से मुक्ति के प्रकार

1. संविदा के निष्पादन द्वारा (Discharge by Performance)

जब दोनों पक्ष अपने-अपने वचनों को पूरा कर देते हैं,
तो संविदा स्वतः समाप्त हो जाती है।

उदाहरण:

माल की आपूर्ति और मूल्य का भुगतान।

---

2. पारस्परिक सहमति द्वारा (Discharge by Mutual Agreement)

पक्षकार आपसी सहमति से संविदा को समाप्त या परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे–

- नवकरण (Novation)
- रद्दीकरण (Rescission)
- परिवर्तन (Alteration)
- परित्याग (Remission)

---

3. असंभवता द्वारा (Discharge by Impossibility)

यदि संविदा का पालन असंभव हो जाए,
तो संविदा समाप्त हो जाती है।
(धारा 56)

उदाहरण:

संविदा का विषय नष्ट हो जाना।

---

4. समय व्यतीत होने से (Discharge by Lapse of Time)

यदि निर्धारित समय के भीतर वाद दायर न किया जाए,
तो संविदा समाप्त मानी जाती है।

---

5. विधि के प्रवर्तन द्वारा (Discharge by Operation of Law)

कानून के कारण संविदा समाप्त हो जाती है, जैसे–

- मृत्यु
- दिवालियापन
- अधिकारों का विलय (Merger)

---

6. संविदा भंग द्वारा (Discharge by Breach of Contract)

जब कोई पक्ष संविदा का पालन करने से मना कर देता है
या पालन नहीं करता, तो दूसरा पक्ष संविदा से मुक्त हो जाता है।

निष्कर्ष

संविदा से मुक्ति का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि
किन परिस्थितियों में पक्षकारों के दायित्व समाप्त हो जाते हैं।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में संविदा से मुक्ति के
विभिन्न तरीकों को मान्यता दी गई है।

QUES 17 10 MARKS

Breach of Contract (संविदा का उल्लंघन)

परिचय

जब संविदा का कोई पक्षकार **अपने वचन का पालन नहीं करता**,
या उसे निर्धारित समय, स्थान अथवा तरीके से पूरा नहीं करता,
तो इसे **संविदा का उल्लंघन** कहा जाता है।

परिभाषा

संविदा का उल्लंघन वह स्थिति है,
जिसमें कोई पक्ष **संविदात्मक दायित्वों को निभाने में असफल रहता है**
या उन्हें निभाने से स्पष्ट रूप से इंकार कर देता है।

संविदा के उल्लंघन के प्रकार

1. वास्तविक उल्लंघन (Actual Breach)

जब संविदा के पालन के समय कोई पक्ष वचन पूरा नहीं करता।

उदाहरण:
माल की आपूर्ति न करना।

---

2. प्रत्याशित उल्लंघन (Anticipatory Breach)

जब संविदा के पालन से पहले ही कोई पक्ष यह घोषणा कर देता है
कि वह संविदा पूरी नहीं करेगा।

संविदा उल्लंघन के परिणाम / उपचार (Remedies)

1. क्षतिपूर्ति (Damages)

पीड़ित पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई।

---

2. संविदा की रद्दीकरण (Rescission)

पीड़ित पक्ष संविदा को समाप्त कर सकता है।

---

3. विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance)

न्यायालय द्वारा संविदा को पूरा करने का आदेश।

---

4. निषेधाज्ञा (Injunction)

किसी कार्य को करने से रोकने का आदेश।

---

5. अर्ध-संविदात्मक दावा

किए गए कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक।

निष्कर्ष

संविदा का उल्लंघन संविदा के उद्देश्य को विफल करता है।
भारतीय विधि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए
विभिन्न उपचार प्रदान करती है।

QUES 18 10 MARKS

****Joint Liability & Performance of Joint Promises**

(संयुक्त दायित्व एवं संयुक्त वचनों का पालन)**

परिचय

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति **मिलकर एक ही वचन** देते हैं,
तो उनका दायित्व **संयुक्त (Joint) तथा पृथक (Several)** होता है।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में संयुक्त दायित्व और संयुक्त वचनों के पालन
का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

संयुक्त दायित्व (Joint Liability)

धारा 42

जब दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से वचन देते हैं,
तो जब तक विपरीत अभिप्राय न हो–

- सभी वचनदाता संयुक्त रूप से वचन निभाने के लिए बाध्य होते हैं
- किसी एक की मृत्यु पर उसके विधिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होते हैं

धारा 43

वचन पाने वाला (Promisee)–

- सभी वचनदाताओं से या
- किसी एक वचनदाता से
  पूरा वचन पूरा करने की मांग कर सकता है।

👉 भुगतान करने वाला वचनदाता
अन्य सह-वचनदाताओं से **योगदान (Contribution)** मांग सकता है।

संयुक्त वचनों का पालन (Performance of Joint Promises)

धारा 44

यदि वचन पाने वाला–

- किसी एक संयुक्त वचनदाता को मुक्त कर देता है,
  तो अन्य वचनदाता मुक्त नहीं होते।

धारा 45 (संक्षेप)

यदि वचन एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया गया हो,
तो वे सभी मिलकर उसका पालन मांग सकते हैं।

उदाहरण

A, B और C मिलकर D को ₹60,000 देने का वचन देते हैं।

👉 D, A या B या C में से किसी एक से पूरी राशि वसूल कर सकता है।

👉 जिसने भुगतान किया, वह बाकी से योगदान ले सकता है।

निष्कर्ष

संयुक्त दायित्व और संयुक्त वचनों का पालन
संविदा में बहु-पक्षीय उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 42 से 45
इस विषय का कानूनी आधार प्रदान करती हैं।

QUES 19 5 MARKS

Reasonable Time (उचित समय)

उचित समय वह समय होता है,
जो किसी कार्य को **सामान्य परिस्थितियों में**,
उस कार्य की प्रकृति और व्यवहार के अनुसार
उचित और पर्याप्त माना जाए।

📘 **भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 46–48** के अनुसार—
यदि संविदा में कार्य करने का समय निश्चित नहीं है,
तो वह कार्य **उचित समय** के भीतर किया जाना चाहिए।

उचित समय निर्धारित करने के आधार

- संविदा की प्रकृति
- व्यापारिक प्रचलन
- परिस्थितियाँ और तथ्य
- पक्षकारों की मंशा

उदाहरण

यदि माल की आपूर्ति का समय निर्धारित नहीं है,
तो विक्रेता को माल **उचित समय** के भीतर देना होगा।

निष्कर्ष

उचित समय एक सापेक्ष (Relative) अवधारणा है,
जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

QUES 20 5 MARKS

Specified Promise (निर्दिष्ट वचन)

निर्दिष्ट वचन वह वचन होता है,
जिसमें संविदा के अंतर्गत **कार्य करने का समय, स्थान या तरीका पहले से स्पष्ट रूप से निर्धारित** किया गया हो।

📘 **भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 46–50 में**
वचन के पालन के समय और स्थान से संबंधित नियम दिए गए हैं।

विशेषताएँ

- वचन का **समय या स्थान निश्चित** होता है
- वचन उसी **निर्दिष्ट समय और स्थान** पर पूरा किया जाना चाहिए

- वचन पाने वाला उसी शर्त पर पालन की मांग कर सकता है

उदाहरण

A ने B से यह वचन दिया कि वह

1 मार्च को दिल्ली में ₹10,000 का भुगतान करेगा।

👉 यह एक **Specified Promise** है।

निष्कर्ष

जहाँ संविदा में वचन के पालन की शर्तें स्पष्ट रूप से तय हों,

वहाँ उसे **निर्दिष्ट वचन** (**Specified Promise**) कहा जाता है,

और उसका पालन उन्हीं शर्तों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है।

QUES 21 10 MARKS

Appropriation of Payments (भुगतान का विनियोजन)

परिचय

जब कोई देनदार (Debtor) अपने लेनदार (Creditor) को

एक से अधिक ऋणों के बदले **आंशिक भुगतान** करता है,

तो यह प्रश्न उठता है कि यह भुगतान **किस ऋण में समायोजित किया जाएगा**।

इसी प्रक्रिया को **भुगतान का विनियोजन** (**Appropriation**) कहते हैं।

📘 यह विषय **भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 59–61** में वर्णित है।

भुगतान के विनियोजन के नियम

1. देनदार द्वारा विनियोजन (धारा 59)

यदि देनदार भुगतान करते समय यह स्पष्ट कर दे
कि भुगतान किस ऋण के लिए किया जा रहा है,
तो लेनदार को उसी ऋण में भुगतान समायोजित करना होगा।

उदाहरण:
A, B को ₹5,000 देते समय कहता है कि यह पुराने ऋण के लिए है।

---

2. लेनदार द्वारा विनियोजन (धारा 60)

यदि देनदार कोई निर्देश नहीं देता,
तो लेनदार अपनी इच्छा से किसी भी वैध ऋण में भुगतान समायोजित कर सकता है,
चाहे वह ऋण समय-सीमा से बाहर ही क्यों न हो।

---

3. विधि द्वारा विनियोजन (धारा 61)

यदि न देनदार और न ही लेनदार कोई निर्देश देता है,
तो भुगतान **सबसे पुराने ऋण** में समायोजित किया जाएगा।

उदाहरण

A पर B का तीन ऋण है।
A बिना निर्देश के ₹10,000 देता है।
👉 भुगतान सबसे पुराने ऋण में समायोजित होगा।

महत्त्व

- ऋणों के निपटान में स्पष्टता
- विवादों से बचाव
- न्यायसंगत समायोजन

निष्कर्ष

भुगतान का विनियोजन यह सुनिश्चित करता है कि
एक से अधिक ऋणों की स्थिति में भुगतान का सही और न्यायपूर्ण उपयोग हो।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 59 से 61
इस विषय को विधिक आधार प्रदान करती हैं।

QUES 22 10 MARKS

****संविदा कब और कहाँ विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है**

(When and Where a Contract is Enforceable by Law)**

परिचय

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अनुसार—
"वह समझौता जो **विधि द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable by Law)** हो,
संविदा कहलाता है।"

अर्थात्, कोई समझौता तभी संविदा बनता है
जब उसे **कानून लागू कर सके**।

संविदा कब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है (WHEN)

कोई संविदा तब प्रवर्तनीय होती है, जब उसमें निम्न आवश्यक तत्व मौजूद हों—

1. वैध समझौता

प्रस्ताव और उसकी वैध स्वीकृति हो।

2. वैध प्रतिफल

संविदा किसी वैध प्रतिफल पर आधारित हो।

3. संविदा करने की क्षमता

पक्षकार—

- वयस्क हों
- सुदृढ़ मस्तिष्क वाले हों
- विधि द्वारा अयोग्य न हों

4. स्वतंत्र सहमति

सहमति पर बल प्रयोग, धोखा, अनुचित प्रभाव, मिथ्याभिव्यक्ति या भूल का प्रभाव न हो।

5. वैध उद्देश्य

संविदा का उद्देश्य—

- कानून के विरुद्ध न हो
- अनैतिक न हो
- सार्वजनिक नीति के विरुद्ध न हो

6. निश्चितता और असंभवता का अभाव

शर्तें स्पष्ट हों और कार्य असंभव न हो।

👉 इन सभी शर्तों के पूर्ण होने पर संविदा **विधि द्वारा प्रवर्तनीय** होती है।

संविदा कहाँ विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है (WHERE)

संविदा को **न्यायालय** (Court of Law) में प्रवर्तित किया जा सकता है।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

संविदा वहाँ प्रवर्तनीय होगी—

- जहाँ संविदा की गई हो, या
- जहाँ संविदा का पालन होना हो, या

- जहाँ प्रतिवादी निवास करता हो या व्यवसाय करता हो।

कब संविदा प्रवर्तनीय नहीं होती

- सट्टा संविदा
- अवैध उद्देश्य वाली संविदा
- अवयस्क की संविदा
- सामाजिक / नैतिक समझौते

निष्कर्ष

हर समझौता संविदा नहीं होता।
संविदा वही है जो **आवश्यक शर्तों को पूरा करे**
और जिसे **न्यायालय द्वारा लागू किया जा सके**।
यही संविदा के विधिक प्रवर्तन का आधार है।

QUES 23

1. संविदा क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
वह समझौता जो **विधि द्वारा प्रवर्तनीय** हो, संविदा कहलाता है।
(धारा 2(h), भारतीय संविदा अधिनियम, 1872)

---

2. समझौता और संविदा में अंतर लिखिए। (5 अंक)

आधार	समझौता	संविदा
विधिक प्रवर्तन	नहीं	हाँ
कानूनी दायित्व	नहीं बनता	बनता है

आधार	**समझौता**	**संविदा**
प्रकृति	सामान्य	विधिक

---

3. वैध संविदा के आवश्यक तत्व लिखिए। (**10 अंक**)

1. प्रस्ताव और स्वीकृति
2. वैध प्रतिफल
3. विधिक संबंध बनाने की मंशा
4. सक्षम पक्षकार
5. स्वतंत्र सहमति
6. वैध उद्देश्य
7. निश्चितता
8. असंभवता का अभाव

---

4. शून्य संविदा (**Void Contract**) **क्या है? (5 अंक**)

उत्तर:
वह संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रहती,
शून्य संविदा कहलाती है। (धारा 2(j))

---

5. अवैध संविदा क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
जो संविदा कानून के विरुद्ध हो या
सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो,
वह अवैध संविदा कहलाती है।

---

6. अवयस्क की संविदा क्यों शून्य होती है? (5 अंक)

उत्तर:

क्योंकि अवयस्क संविदा करने में अक्षम होता है,

इसलिए उसकी संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है।

(मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष)

---

7. स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं? (5 अंक)

उत्तर:

जब सहमति पर

बल, धोखा, अनुचित प्रभाव,

मिथ्याभिव्यक्ति या भूल का प्रभाव न हो,

तो वह स्वतंत्र सहमति कहलाती है।

---

8. प्रतिफल क्या है? (5 अंक)

उत्तर:

जब किसी वचन के बदले

कोई कार्य किया जाए या न किया जाए,

तो उसे प्रतिफल कहते हैं।

(धारा 2(d))

---

9. मौखिक और लिखित संविदा में अंतर लिखिए। (5 अंक)

मौखिक संविदा	लिखित संविदा
बोलकर की जाती है	लिखकर की जाती है

मौखिक संविदा	**लिखित संविदा**
प्रमाण कठिन	प्रमाण सरल
सामान्य मामलों में	महत्वपूर्ण मामलों में

---

10. निष्पादन संविदा क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
जिस संविदा में दोनों पक्षों द्वारा
कार्य पूरा कर दिया गया हो,
उसे निष्पादित संविदा कहते हैं।

---

11. उल्लंघन से संविदा का निर्वहन कैसे होता है? (5 अंक)

उत्तर:
जब एक पक्ष संविदा का पालन नहीं करता,
तो दूसरा पक्ष उसे समाप्त मान सकता है
और क्षतिपूर्ति मांग सकता है।

---

12. सशर्त संविदा क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
जिस संविदा का पालन
किसी अनिश्चित भविष्य की घटना पर निर्भर हो,
वह सशर्त संविदा कहलाती है।

---

13. संविदा का निर्वहन क्या है? (5 अंक)

उत्तर:

संविदा के अनुसार

दायित्वों का पालन करना

संविदा का निर्वहन कहलाता है।

---

14. हानि और क्षतिपूर्ति में अंतर लिखिए। (**5 अंक**)

हानि	**क्षतिपूर्ति**
नुकसान	नुकसान की भरपाई
वास्तविक क्षति	न्यायालय द्वारा निर्धारित

---

15. समय संविदा में कब आवश्यक होता है? (5 अंक)

उत्तर:

जब संविदा की प्रकृति ऐसी हो

कि समय ही उसका मूल तत्व हो,

तो समय का पालन आवश्यक होता है।

---

1. संविदा (**Contract**) **की परिभाषा दीजिए।** (**5 अंक**)

उत्तर:

वह समझौता जो **विधि द्वारा प्रवर्तनीय** हो,

संविदा कहलाता है।

(धारा 2(h), भारतीय संविदा अधिनियम, 1872)

---

2. प्रस्ताव (**Offer**) **क्या है? (5 अंक**)

उत्तर:

जब कोई व्यक्ति

दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए
कुछ करने या न करने की इच्छा व्यक्त करता है,
तो उसे प्रस्ताव कहते हैं।
(धारा 2(a))

---

3. स्वीकृति (Acceptance) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
जब प्रस्ताव पाने वाला
उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है,
तो वह स्वीकृति कहलाती है।
(धारा 2(b))

---

4. प्रतिफल (Consideration) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
जब किसी वचन के बदले
कोई कार्य किया जाए या न किया जाए,
तो उसे प्रतिफल कहते हैं।
(धारा 2(d))

---

5. स्वतंत्र सहमति क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
जब सहमति
बल, अनुचित प्रभाव, धोखा,
मिथ्याभिव्यक्ति या भूल से मुक्त हो,
तो वह स्वतंत्र सहमति कहलाती है।
(धारा 14)

---

6. अनुचित प्रभाव (Undue Influence) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:

जब कोई व्यक्ति
दूसरे पर अपने पद या संबंध का
अनुचित लाभ उठाकर सहमति प्राप्त करे,
तो उसे अनुचित प्रभाव कहते हैं।
(धारा 16)

---

7. भूल (Mistake) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:

जब दोनों या एक पक्ष
किसी तथ्य या कानून के बारे में
गलत समझ के कारण सहमति देता है,
तो उसे भूल कहते हैं।

---

8. द्विपक्षीय भूल (Bilateral Mistake) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:

जब दोनों पक्ष
एक ही तथ्य के विषय में
गलत धारणा रखते हों,
तो संविदा शून्य होती है।
(धारा 20)

---

9. एकपक्षीय भूल (Unilateral Mistake) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:

जब केवल एक पक्ष

तथ्य के विषय में भूल करता है,

तो संविदा सामान्यतः वैध रहती है।

(धारा 22)

---

10. शून्य आद्य (Void Ab Initio) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:

जो संविदा

शुरुआत से ही विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो,

वह शून्य आद्य कहलाती है।

---

11. सट्टा संविदा (Wagering Contract) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:

ऐसी संविदा

जो अनिश्चित भविष्य की घटना पर आधारित हो

और जिसमें हार-जीत पर धन निर्भर हो,

सट्टा संविदा कहलाती है।

(धारा 30)

---

12. पारस्परिक वचन (Reciprocal Promises) क्या हैं? (10 अंक)

उत्तर:

जब संविदा में

दोनों पक्ष एक-दूसरे से

वचन देते हैं,

तो उन्हें पारस्परिक वचन कहते हैं।

(धारा 2(f))

उदाहरण:

A वस्तु देगा और B मूल्य देगा।

---

13. अर्ध-संविदा (Quasi Contract) क्या है? (10 अंक)

उत्तर:

ऐसे दायित्व

जो संविदा के बिना भी

कानून द्वारा लगाए जाते हैं,

उन्हें अर्ध-संविदा कहते हैं।

(धारा 68–72)

---

14. संविदा का निर्वहन कैसे होता है? (10 अंक)

उत्तर:

1. निष्पादन द्वारा
2. आपसी सहमति से
3. असंभवता से
4. उल्लंघन से
5. विधि द्वारा

---

15. संविदा का उल्लंघन (Breach of Contract) क्या है? (10 अंक)

उत्तर:

जब कोई पक्ष

संविदा का पालन नहीं करता
या अस्वीकार करता है,
तो उसे संविदा का उल्लंघन कहते हैं।

---

16. क्षतिपूर्ति (Damages) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
संविदा उल्लंघन से हुई हानि की
आर्थिक भरपाई को
क्षतिपूर्ति कहते हैं।
(धारा 73)

---

17. उचित समय (Reasonable Time) क्या है? (5 अंक)

उत्तर:
जो समय
संविदा की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार
उचित हो,
उसे उचित समय कहते हैं।

---

18. संयुक्त दायित्व (Joint Liability) क्या है? (10 अंक)

उत्तर:
जब दो या अधिक व्यक्ति
संविदा के लिए
संयुक्त रूप से उत्तरदायी हों,
तो इसे संयुक्त दायित्व कहते हैं।
(धारा 42–44)

शानदार 👍

नीचे आपके लिए **Indian Contract Act, 1872 – ONE DAY REVISION NOTES**

पूरी तरह हिंदी में, **LLB Exam-oriented**, **Last-minute** **याद करने लायक** दिए जा रहे हैं:

📘 **CONTRACT ACT – ONE DAY REVISION NOTES (HINDI)**

🔹 **1. संविदा (Contract)**

समझौता जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो।

धारा 2(h)

🔹 **2. वैध संविदा के आवश्यक तत्व**

1. प्रस्ताव
2. स्वीकृति
3. वैध प्रतिफल
4. विधिक संबंध की मंशा
5. सक्षम पक्षकार
6. स्वतंत्र सहमति
7. वैध उद्देश्य
8. निश्चितता

🔹 **3. प्रस्ताव (Offer) – धारा 2(a)**

किसी की सहमति प्राप्त करने हेतु
कुछ करने या न करने की इच्छा।

- **4. स्वीकृति (Acceptance) – धारा 2(b)**

प्रस्ताव पर बिना शर्त सहमति।

- **5. प्रतिफल (Consideration) – धारा 2(d)**

वचन के बदले किया गया या न किया गया कार्य।

- **6. सहमति (Consent) – धारा 13**

जब दो या अधिक व्यक्ति
एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हों।

- **7. स्वतंत्र सहमति – धारा 14**

बल, अनुचित प्रभाव, धोखा,
मिथ्याभिव्यक्ति और भूल से मुक्त।

- **8. अनुचित प्रभाव – धारा 16**

पद या संबंध का गलत उपयोग कर
सहमति प्राप्त करना।

- **9. धोखा (Fraud) – धारा 17**

जानबूझकर असत्य कथन कर
सहमति प्राप्त करना।

- **10. मिथ्याभिव्यक्ति (Misrepresentation) – धारा 18**

बिना धोखाधड़ी के

गलत कथन।

- **11. भूल (Mistake)**
  - **तथ्य की भूल** – संविदा शून्य
  - **कानून की भूल** – सामान्यतः माफी नहीं

- **12. द्विपक्षीय भूल – धारा 20**

दोनों पक्ष तथ्य में भूल → संविदा शून्य

- **13. एकपक्षीय भूल – धारा 22**

एक पक्ष भूल में → संविदा वैध

- **14. शून्य संविदा (Void Contract)**

विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं।

- **15. Void Ab Initio**

शुरुआत से ही शून्य संविदा।

- **16. सशर्त संविदा (Contingent Contract)**

अनिश्चित भविष्य की घटना पर निर्भर।

धारा 31

- **17. सट्टा संविदा (Wagering Contract)**

हार-जीत पर आधारित संविदा।

धारा 30 – शून्य

- **18. पारस्परिक वचन (Reciprocal Promises)**

दोनों पक्षों के वचन।

धारा 2(f)

- **19. अर्ध-संविदा (Quasi Contract)**

संविदा न होते हुए भी
कानून द्वारा दायित्व।

धारा 68–72

- **20. संविदा का निर्वहन**

1. निष्पादन
2. आपसी सहमति
3. असंभवता
4. उल्लंघन
5. विधि द्वारा

- **21. संविदा का उल्लंघन (Breach)**

संविदा का पालन न करना।

- **22. क्षतिपूर्ति (Damages)**

उल्लंघन से हुई हानि की भरपाई।

धारा 73

- **23. संयुक्त दायित्व**

एक से अधिक व्यक्ति

संयुक्त रूप से उत्तरदायी।

धारा 42–44

- **24. उचित समय (Reasonable Time)**

परिस्थितियों के अनुसार

उचित समय।

प्रश्न 1. संविदा की परिभाषा दीजिए तथा वैध संविदा के आवश्यक तत्व समझाइए। (20 अंक)

उत्तर:

संविदा वह समझौता है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो।

(धारा 2(h), भारतीय संविदा अधिनियम, 1872)

वैध संविदा के आवश्यक तत्व:

1. **प्रस्ताव और स्वीकृति** – एक पक्ष प्रस्ताव करे और दूसरा बिना शर्त स्वीकार करे।
2. **वैध प्रतिफल** – प्रत्येक वचन के बदले कुछ न कुछ होना चाहिए।
3. **विधिक संबंध बनाने की मंशा** – पक्षों की मंशा कानूनी होनी चाहिए।
4. **सक्षम पक्षकार** – पक्ष वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क और विधि द्वारा अयोग्य न हों।

5. **स्वतंत्र सहमति** – सहमति बल, धोखा, अनुचित प्रभाव, मिथ्याभिव्यक्ति और भूल से मुक्त हो।
6. **वैध उद्देश्य** – उद्देश्य गैरकानूनी या अनैतिक न हो।
7. **निश्चितता** – शर्तें स्पष्ट हों।
8. **संविदा का स्पष्ट निषेध न हो** – कानून द्वारा वर्जित न हो।

निष्कर्ष:
इन सभी तत्वों के अभाव में संविदा वैध नहीं मानी जाएगी।

प्रश्न 2. प्रस्ताव और स्वीकृति को विस्तार से समझाइए। (**20 अंक**)

उत्तर:

प्रस्ताव (**धारा 2(a)):**

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सहमति प्राप्त करने के लिए
कुछ करने या न करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वह प्रस्ताव कहलाता है।

प्रस्ताव की आवश्यकताएँ:

- स्पष्ट और निश्चित
- विधिक संबंध बनाने की मंशा
- संप्रेषण आवश्यक

स्वीकृति (**धारा 2(b)):**

जब प्रस्ताव पाने वाला उस पर अपनी सहमति देता है, तो वह स्वीकृति कहलाती है।

स्वीकृति की आवश्यकताएँ:

- पूर्ण और बिना शर्त
- उचित समय में

- प्रस्तावकर्ता को संप्रेषित

निष्कर्ष:

वैध प्रस्ताव और स्वीकृति से ही संविदा का जन्म होता है।

प्रश्न 3. प्रतिफल की परिभाषा दीजिए तथा इसके नियम समझाइए। (20 अंक)

उत्तर:

प्रतिफल वह है जो किसी वचन के बदले किया गया या न किया गया कार्य हो।

(धारा 2(d))

प्रतिफल के नियम:

1. प्रतिफल भूत, वर्तमान या भविष्य का हो सकता है।
2. प्रतिफल वचनदाता या किसी अन्य द्वारा हो सकता है।
3. प्रतिफल वैध और वास्तविक होना चाहिए।
4. प्रतिफल अवैध या अनैतिक नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष:

"प्रतिफल के बिना संविदा शून्य होती है" (कुछ अपवादों को छोड़कर)।

प्रश्न 4. स्वतंत्र सहमति क्या है? इसके तत्वों की विवेचना कीजिए। (20 अंक)

उत्तर:

स्वतंत्र सहमति वह है जो निम्न से मुक्त हो:

1. बल (धारा 15)
2. अनुचित प्रभाव (धारा 16)
3. धोखा (धारा 17)

4. मिथ्याभिव्यक्ति (धारा 18)
5. भूल (धारा 20–22)

यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है, तो संविदा **रद्द करने योग्य** या **शून्य** हो सकती है।

प्रश्न 5. शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। (20 अंक)

आधार	शून्य संविदा	शून्यकरणीय संविदा
प्रवर्तन	नहीं	एक पक्ष द्वारा
प्रभाव	प्रारंभ से या बाद में	एक पक्ष की इच्छा पर
उदाहरण	अवयस्क की संविदा	धोखे से बनी संविदा

प्रश्न 6. सशर्त (Contingent) संविदा को विस्तार से समझाइए। (20 अंक)

उत्तर:
सशर्त संविदा वह है जिसका पालन
किसी अनिश्चित भविष्य की घटना पर निर्भर हो।
(धारा 31)

प्रकार:

1. घटना के होने पर
2. घटना के न होने पर
3. निश्चित समय में घटना
4. असंभव घटना

निष्कर्ष:
सशर्त संविदा अनिश्चितता पर आधारित होती है।

प्रश्न 7. सट्टा संविदा क्या है? सशर्त संविदा से इसका अंतर बताइए। (20 अंक)

उत्तर:

सट्टा संविदा वह है जिसमें

अनिश्चित घटना पर हार-जीत निर्भर हो।

(धारा 30 – शून्य)

अंतर:

- सट्टा संविदा में कोई वास्तविक हित नहीं
- सशर्त संविदा में वास्तविक हित होता है

प्रश्न 8. अर्ध-संविदा (Quasi Contract) को समझाइए। (20 अंक)

उत्तर:

अर्ध-संविदा वह दायित्व है

जो संविदा न होते हुए भी

कानून द्वारा लगाया जाता है।

प्रकार:

1. आवश्यकता की पूर्ति
2. बिना मूल्य वस्तु की जिम्मेदारी
3. अनुचित लाभ
4. भूल से भुगतान

(धारा 68–72)

प्रश्न 9. संविदा का निर्वहन किन-किन प्रकार से होता है? (20 अंक)

उत्तर:

संविदा का निर्वहन निम्न प्रकार से होता है:

1. निष्पादन द्वारा
2. आपसी सहमति द्वारा
3. असंभवता द्वारा
4. उल्लंघन द्वारा
5. विधि द्वारा

प्रश्न 10. संविदा के उल्लंघन पर उपलब्ध उपचारों की विवेचना कीजिए। (20 **अंक**)

उत्तर:

उल्लंघन की स्थिति में निम्न उपचार उपलब्ध हैं:

1. क्षतिपूर्ति
2. विशिष्ट निर्वहन
3. निषेधाज्ञा
4. संविदा का निरस्तीकरण
5. अर्ध-संविदात्मक दावा